<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर, (म0प्र0)</u>
//परिपत्र//

क्रमांक / 44 /सी0आई0एस0/सां0/2022 अशोकनगर, दिनांक 28-7-22

वर्तमान में समस्त न्यायालयों के प्रकरणों में भुगतान/लेन–देन जैसे कि, कोर्ट फीस, जुर्माना जमा करना, सीसीडी जमा और अन्य भुगतान/लेन–देन की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही हैं। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरणों में अर्थदण्ड/मुचलका की राशि पक्षकार की ओर से ऑनलाईन जमा करवाई जाकर ऑनलाईन चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

ऑनलाईन भुगतान/लेन–देन एवं पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन राशि जमा करवाई जाकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रकिया के दौरान भविष्य में किसी भी प्रकार के फर्जी ऑनलाइन भुगतान एवं लेन–देन की किसी भी संभावना से बचने एवं उसकी रोकथाम के लिये निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाने हेतु इस परिपत्र के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1– पक्षकार की ओर से जैसे ही न्यायालय के समक्ष कोई ऑनलाईन जमा राशि का चालान पेश किया जाता है तब उसी समय संबंधित प्रवर्तन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रस्तुत चालान का मिलान संबंधित प्रकरण से कर लेवे और यह सुनिश्चित कर लेवे कि, चालान पर प्रकरण कमांक, आरोपी का नाम एवं पता सही लिखा हैं तथा जमा राशि प्रकरण में पारित निर्णय/आदेश के अनुसार संपूर्ण जमा कराई गई हैं। साथ ही चालाान जमाकर्ता की टीप एवं हस्ताक्षर भी चालान पर आवश्यक रूप से लेवे।

2– पक्षकार की ओर से जैसे ही न्यायालय के समक्ष कोई ऑनलाईन जमा राशि का चालान पेश किया जाता है तो उसी समय संबंधित लिपिक प्रस्तुत चालान का मिलान म0प्र0 कोषालय वेबसाईड (www.mptreasury.gov.in) से अनिवार्य रूप से कर लेवे और चालान का मिलान कोषालय वेबसाईड से होने पर ही चालान को न्यायालय के लेखे में शामिल करें।

3– पक्षकार की ओर से प्रस्तुत ऑनलाईन जमा राशि के चालान का मिलान म0प्र0 कोषालय वेबसाईड (www.mptreasury.gov.in) से किया गया, तत्संबंधी टीप संबंधित लिपिक चालान पर अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर करें और उसके पश्चात् चालान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करावें।

4– नजारत अनुभाग/मालखाना अनुभाग/तलवाना अनुभाग आदि में भी पक्षकार की ओर से जैसे ही ऑनलाइन जमा राशि का चालान पेश किया जाता है तो उसी समय संबंधित जिला नाजिर/नायब नाजिर/मालखाना नाजिर/तलवाना लिपिक प्रस्तुत चालान का मिलान म0प्र0 कोषालय वेबसाईट (www.mptreasury.gov.in) से अनिवार्य रूप से कर लेवे और चालान का मिलान कोषालय वेबसाईड से होने पर ही चालान को अनुभाग के लेखे में शामिल करें और तत्संबंधी टीप चालान पर अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर करें और तत्पश्चात् संबंधित प्रभारी अधिकारी के चालान पर हस्ताक्षर करावें। साथ ही चालान जमाकर्ता की टीप एवं हस्ताक्षर भी चालान पर आवश्यक रूप से लेवे।

5– पक्षकार की ओर से किसी प्रकरण में ऑनलाइन न्याय शुल्क भुगतान किये जाने पर यह अत्यंत आवश्यक है कि, संबंधित प्रकरण में ऑनलाइन जमा न्याय शुल्क का उपभोग (Consume) किया जावें और इसके लिये संबंधित लिपिक को निर्देशित किया जावे कि, सी. आई.एस. सॉफ्टवेयर के होम पेज उपलब्ध "Consume Online Court Fee" का उपयोग कर प्रकरण में जमा न्याय शुल्क का उपभोग (Consume) किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

6– पक्षकार की ओर से प्रस्तुत जमा ऑनलाईन चालान में उक्त प्रक्रिया का पालन किये बगैर कोई ऑनलाईन चालान न्यायालय/अनुभाग के लेखों में शामिल किया जाता और पश्चातवर्ती जॉच में यदि लेखों में शामिल किये गये चालान फर्जी पाया जाता है तो इस संबंध

में संबंधित प्रवर्तन लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/मालखाना नाजिर/तलवाना लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7— समस्त न्यायाधीशगण/प्रभारी अधिकारीगण भी यह सुनिश्चित करें कि, प्रवर्तन लिपिक/जिला नाजिर/नायब नाजिर/मालखाना नाजिर/तलवाना लिपिक के द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।

8— उप—प्रशासनिक अधिकारी, अशोकनगर भी उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुये लेखा जॉच संपादित करें और जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(पी0के0 शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0 कमांक/1411/सी.आई.एस./सां0/2022 अशोकनगर, दिनांक 28-7-22

प्रतिलिपिः—

1— प्रथम/द्वितीय/अति0 जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी

2— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़।

3— प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर।

4— प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/तलवाना/कम्प्यूटर अनुभाग, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।

5— प्रशासनिक अधिकारी/उप—प्रशासनिक अधिकारी, कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

6— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर परिपत्र जिला न्यायालय अशोकनगर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायिक अधिकारीगण की ओर ई—मेल के माध्यम से भेजे जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)